न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर

बइजलास–श्री यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र मलूराम 2. नारायणराम पुत्र मलूराम 3. देवी बेवा मलूराम जाति विश्नोई निवासी राडिया बेरा तहसील लोहावट		1. जोधाराम पुत्र पोकरराम 2. सुखराम पुत्र हरचंदराम 3. बाबूराम पुत्र हरचंदराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली 4. मैनेजर एस बी आई शाखा ओंसिया 5. तहसीलदार लोहाट

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थिति :–
1. श्री हीराराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 03
3. अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21/10/2019

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है की प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त खसरा संख्या 54 रकबा 69.04 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 94 बीघा गांव रडिया बेरा में स्थित जिसमें उसकी रहवासी कदीमी ढाणीया बनी हुयी है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के दक्षिण में र्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 14.02 बीघा है।
गण का अपने खेत व ढाणियों में गांव पल्ली नोसर व विघार्थियो के स्कुल आने व अन्य खेतों में के लिए खसरा संख्या 57 में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये गये ए बी सी डी से होकर खसरा 57 से निकली हुयी ग्रेवल सडक पल्ली से मतोडा है। अप्रार्थीगणों के दिलों मे बदयान्ती व्याप्त से उन्होने रास्ते पर काटे डाल कर प्रार्थीगण को आने जाने से रोक दिया है।
र्थीगण अपने खेत खसरा सख्या 54, 56 से अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 57 में से 20 फीट रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाये गये स्थान एबीसीडी से लेना चाहता है। जिसके लिये वह जायज ार है।
गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण ा 02 ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की से वकील श्री ओमप्रकाश गोदारा ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश ा।
र्थीगण संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया अप्रार्थीगण के खेत ग्राम राडिया बेरा के खसरा संख्या व 59 के किनारे किनारे कटाणी रास्ता पल्ली से मतौडा जाता है लेकिन मौके पर ग्रेवल सडक र्थीगणों के खेत खसरा संख्या 57 में से राजरव रेकर्ड में दर्शित कटाणी रास्ते से उतर दिशा में हुई है तथा अप्रार्थीगणों का मौके पर बनी हुयी रोड के उतरी तरफ की दिशा में बनी हुयी है तथा र्थीगणों का मौके पर बनी हुई रोड के उतरी तरफ कम ही खेत बचता है। खसरा संख्या 57 का कतर रकबा मौके पर बनी हुयी रोड के दक्षिणी तरफ रह जाता है तथा ग्राम राडिया बेरा के रा संख्या 59 रकबा 56.06 बीघा भूमि में से अप्रार्थी सख्या 01 का 2/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में है तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर काफी पूर्व में अप्रार्थी संख्या 01 तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 03 ने विभाजन कर रखा है जिसमें खसरा या 57 की पुरी भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के बंट रखी हुयी है। तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के बंट वाली दोनों खसरा की भूमि अर्थात खसरा संख्या 57 व 59 में से 1/3 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि न जवाब के नजरी नक्शा में मार्क एबीसीडी स्थान पर बंट दे दी है तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03

उपखण्ड अधिकारी फलौदी

Scanned by CamScanner

का कब्जा काश्त भी संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये गये भाग पर ही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 ने आपसी सांठ गांठ दुरभी संधि कर उक्त प्रार्थना पर एवं जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी मौके पर रास्ते के रुप में उपयोग नही किया गया। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 57 भूमि के उतरी पश्चिमी कणे से रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ई से एम स्थान पर देने पर अप्रार्थी की भूमि दो भागो में विभक्त नही होगी ओर प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए सुगम रास्ता मिल जायेगा अप्रार्थी संख्या 01 के जवाव के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ई से एफ रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थीगण के खेत की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 57 के चिपती भूमि देकर रास्ता के रुप में ली गई भूमि के बदले उतनी ही भूमि क्षति पूर्ति के रुप में लेगा।

पत्रावली पर उभय पक्षकारान् के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया की प्रार्थीगण का अपने खेत व ढाणियों में गांव पल्ली नोसर व विघार्थियो को स्कुल आने व अन्य खेतों में जाने के लिए खसरा संख्या 57 में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये गये ए बी सी डी से होकर खसरा संख्या 57 से निकली हुयी ग्रेवल सडक पल्ली से मतोडा है। अप्रार्थीगणों के दिलों मे बदयान्ती व्याप्त होने से उन्होने रास्ते पर काटे डाल कर प्रार्थीगण को आने जाने से रोक दिया है।

प्रार्थीगण अपने खेत खसरा सख्या 54, 56 से अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 57 में से 20 फीट चौडा रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाये गये स्थान एबीसीडी से लेना चाहता है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी मौके पर रास्ते के रुप में उपयोग नही किया गया तथा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 57 भूमि के उतरी पश्चिम कणे से रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ई से एफ स्थान पर देने अप्रार्थी की भूमि कम खराव होगी अप्रार्थी की भूमि दो भागो में विभक्त नही होगी ओर प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए सुगम रास्ता मिल जायेगा

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन के पाया की अप्रार्थी संख्या 01 व 03 अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा पेश किया जिसमें मार्क ई से एफ प्रार्थीगण को रास्ता देना स्वीकार किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा संख्या 54 रकबा 69.04 बीघा एवं खसरा संख्या 56 रकबा 94 बीघा ग्राम राडिया बेरा की भूमि तक आने जाने के लिए निर्धारित प्रतिकर से संदाय पर अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 57 रकबा रकबा 14.02 बीघा भूमि में से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के साथ नजरी नक्शा में मार्क ई से एफ 20 फुट चौडा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 54 तक लंबाई माप कर रास्ता के उपयोग हेतु प्रार्थी को अनुज्ञात किया जाता है। उक्त भूमि की डीएलसी दर राशी की दुगुनी राशी जिसकी गणना तहसीलदार लोहावट कर प्रार्थीगण को अवगत करावे तत्पश्चात प्रार्थीगण उक्त राशी तहसील कार्यालय लोहावट में जमा करवायेगा। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है की उक्त राशि जमा होने पर जवाब दावा के साथ नजरी नक्शा में मार्क ई से एफ राजस्व रेकर्ड में अंकन कर तरमीम कार्य पूर्ण कर रास्ता प्रार्थी का करावें। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा।

निर्णय आज दिनांक 21.10.19 को सरे इजलास में सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलौदी
उपखण्ड अधिकारी, फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2019.11.20 13:14:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: